कार्यालय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग

मंत्रालय : कक्ष क्र.–एम 2/11, महानदी भवन, नवा रायपुर
दूरभाष : 0771–2221109
शासकीय निवास : सी–2, शंकर नगर, केनाल लिकिंग रोड, रायपुर (छ.ग.) एवं एम–9 नया रायपुर
दूरभाष : 0771–2436444/555
निवास : ग्राम–रतनपुर, पोस्ट–तामडांड, तहसील–खड़गवां जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–497449

Mantralaya : M-02/11, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur
Telephone : 0771-2221109
Res. : C-2, Shankar Nagar, Canal Linking Road, Raipur (C.G.) and M-9 Naya Raipur
Telephone : 0771-2436555
E-mail : shyambihari.jaiswal@cg.gov.in

क्रमांक 3487 दिनांक 25/11/2025

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पैथी में अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों के समान चिकित्सकीय कार्य करने की अनुमति प्रदान के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है श्री किरण देव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, विधायक जगदपुर द्वारा माननीय मंत्री जी को प्रेषित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। पत्रानुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पैथी में अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों के समान चिकित्सकीय कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में लेख किया गया है।

अत्एव, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

हिमांचल साहू(रा.प्र.से.)
संयुक्त कलेक्टर
विशेष सहायक
माननीय मंत्री जी

पृ.पत्र क्र. 3488 **/ 2025** **रायपुर, दिनांकः** 25/11/2025

प्रतिलिपि :–

निज सहायक, श्री किरण देव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, विधायक जगदपुर, निवास– सी 1/4 ऑफिसर्स कॉलोनी, देवेंद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

हिमांचल साहू(रा.प्र.से.)
संयुक्त कलेक्टर
विशेष सहायक
माननीय मंत्री जी

किरण देव
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ एवं
विधायक जगदलपुर
विधानसभा क्षेत्र क्र. 86

कार्यालय - बीएसएनएल ऑफिस के सामने, नयापारा,
जगदलपुर, जिला - बस्तर (छ.ग.) 494001
रायपुर निवास - सी 1/4 ऑफिसर्स कॉलोनी, देवेंद्र नगर,
रायपुर (छ.ग.) 492001
Email : kirandeomlajagdalpur86@gmail.com

जावक क्रमांक/......4583/2....... / रायपुर / जगदलपुर / 2025 दिनांक ......11/11/2025......

प्रति,

मान. श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी,
मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पैथी में अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों के समान चिकित्सकीय कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।**

=00=

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन, मकान नं. 233 वार्ड नं. 11 ग्राम व पो. मुरमुन्दा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग का आवेदन मूलतः संलग्न प्रेषित है। एसोसिएशन द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पद्धति में चिकित्सकीय कार्य करने हेतु बिन्दुवार माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन की संलग्न संक्षेपिका अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पैथी में अन्य प्रदेशो के चिकित्सकों के समान चिकित्सकीय कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

कृपया उपरोक्तानुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पैथी में अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों के समान चिकित्सकीय कार्य करने की अनुमति प्रदान करने आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(किरण देव)

छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन

पंजियन क्र. छ.ग. शासन-122202482700

कार्यालय पता - मकान न. 233 वार्ड न. 11 ग्राम व पो. मुरमुन्दा तह. अहिवारा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490036

अध्यक्ष
डॉ.निलेश थावरे(भिलाई)
मो. 7415072000

उपाध्यक्ष
डॉ. व्ही.एस.राजपूत (बस्तर)
मों. 9425596970

कोषाध्यक्ष
डॉ. भुनेश्वर साहू (मुरमुंदा दुर्ग)
मो. 9300555968

सचिव
डॉ. डी.आर.सिन्हा (धमतरी)
मो. 9826637643

उपसचिव
डॉ. अवधेश शर्मा (रायपुर)
मो. 9584438458

सहसचिव
डॉ. विजय चन्द्राकर (चंदखुरी,दुर्ग)
मो. 7000065950

संगठन सचिव
डॉ. हरिश कुराहे (रायपुर)
मो. 9827170895

प्रचार सचिव
डॉ. के.के. देशमुख (बालोद)
मो. 9131677654

मिडिया प्रभारी
डॉ. रमेश सोनसायटी (राजिम)
मो. 7000134514

प्रवक्ता
डॉ. वाय. के. शरवानी (बालोद)
मो. 7024895417

संरक्षक
डॉ. बी.एल. साहू (दुर्ग)
मो. 9827102515

विशेष सलाहकार
डॉ. ए.के. गजपाल (धमतरी)
मो. 9893923080
डॉ. अशोक दुबे (रायपुर)
मो. 9229547811

कार्यकारिणी सदस्य
डॉ. बी.आर. देवांगन (दुर्ग)
मो. 9131382080
डॉ. एन. पी. जयसवाल (बलौदाबाजार)
मो. 9755983750
डॉ. हितेन्द्र श्रीवास (कोरबा)
मो. 6260944086
डॉ. हरिओम पटेल (कोरबा)
मो. 9200197758

दिनांक 7/11/2025

प्रति,
सम्मान में,
श्रीमान किरण सिंह देव जी-
प्रदेश-अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़
विधायक- जगदलपुर

विषय :- इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पैथी में अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों के समान चिकित्सकीय कार्य करने कि अनुमति प्रदान करने बाबत्।

महोदय जी,

विषयांतर्गत निवेदन है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षित व्यक्ति को अपनी ही पद्धती में चिकित्सकीय कार्य करने हेतु माननीय उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.), मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण विभाग तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ शासन कि संक्षेपिका जिसमें निम्नानुसार अभिमत प्रस्तुत हैं -

1. **उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश :-** माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के याचिका क्रमांक 1307/1999 एक भारतीय संविधान कि धारा 19 (1) (g) के अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धती में शिक्षा, अनुसंधान एवं चिकित्सकीय कार्य में रोक नहीं है। (ध्वज अ)

   साथ ही पत्र क्रमांक **Dy No. 47/RTI/211H** दिनांक 14/02/2011 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के ज्ञ के अनुसार पूरे भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धती में क्लीनिकल स्टेबलिसमेंट एक्ट 2010 लागू नहीं है। (ध्वज ब)

2. **उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली :-** माननीय उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली के आदेश के आदेश क्रमांक 23572/2009 दिनांक 22/01/2015 के अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शिक्षा अनुसंधान एवं चिकित्सीय कार्य पर रोक नहीं है। (ध्वज स)

3. **संक्षेपिका आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ :-** श्री आर. प्रसन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/एन.एच.ए./2017/379 नया रायपुर दिनांक 02/09/2017 द्वारा कण्डिका क्रमांक 01-04 तथा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत कि है तथा उक्त संक्षिप्त जानकारी में अभिमत भी प्रस्तुत किया है माननीय उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश पर विधि सम्मत अभिमत लिया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रोहोम्यो पैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्ति इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा कार्य कर सकते है।

4. शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भोपाल मध्यप्रदेश से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में डिप्लोमा कोर्स से शिक्षित है।

प्रतिलिपि:

1. सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन,मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: दस्तावेज

1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश के याचिका क्रमांक 1307/1999 का प्रति।
2. पत्र क्रमांक **DY No. 47/RTI/2011** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के **RTI** आदेश की प्रति।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से आदेश की प्रति।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन का संक्षेपिका की प्रति।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली (दिनांक 25/11/2003), दिनांक 05/05/2010 एवं 21/06/2011
6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन की आदेश की प्रति

अध्यक्ष
सचिव

भवदीय

छत्तीसगढ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन

पंजीयन क्रमांक - 122202482700

कार्यालय आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन, प्रथम तल, नया रायपुर 492002

क्रमांक / एन.एच.ए / 2017 / 379 नया रायपुर, दिनांक: 05 / 09 / 2017

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छ.ग. शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः— इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्ति को चिकित्सकीय कार्य किये जाने हेतु अनुमति बाबत्।

संदर्भः— अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्र. 4585 / 1809 / सा / 2017 / सत्रह / एक. नया रायपुर दिनांक 06 जुलाई 2017

——0 0——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि, विभिन्न संगठनों तथा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा उन्हें चिकित्सकीय कार्य किये जाने हेतु अनुमति के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। अभ्यावेदन तथा संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् उक्त संबंध में संक्षेपिका संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :— 1. संक्षेपिका।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का आदेश दिनांक 25 नवंबर 2003।
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली का आदेश दिनांक 05 मई 2010, दिनांक 21.06.2011, दिनांक 25.02.2017 ।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा को पारित आदेश दिनांक 22.01.2015।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ.क्र. / एन.एच.ए / 2017 / 380 नया रायपुर, दिनांक: 05 / 09 / 2017

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ।

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.।
2. अवर सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अधिकारी

संक्षेपिका

विषयः— इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्ति को चिकित्सकीय कार्य किये जाने हेतु अनुमति बाबत्।

———0 0———

उपरोक्त विषयांतर्गत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा इन्हे चिकित्सकीय कार्य किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2015 को उपरोक्त विषय के संबंध में निम्न आदेश पारित किया गया — चुंकि भारत सरकार द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र में यह कहा गया है कि, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति में चिकित्सा किये जाने पर रोक नहीं है, अतः अपीलकर्ताओं के द्वारा दायर SPL (Special Leave Petition) को डिसमीस (Dismiss) किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :—

1. दिनांक 25 नवंबर 2003 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति (आयुष, इलेक्ट्रोपैथी / इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, एक्यूपक्चर, मेग्नेटोथेरेपी, यूरिनथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, अरोमाथेरेपी, जेम एण्ड स्टोन थेरेपी एवं म्यूसिक थेरेपी इत्यादि) के मान्यता के संबंध में महानिदेशक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया। समिति के द्वारा सुझाव दिया गया कि, आयुष (आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानि, होम्योपैथी, योगा एवं प्राकृतिक) चिकित्सा पद्धति के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धति, मान्यता हेतु निर्धारित आवश्यक एवं वांछनीय मापदंड को पूर्ण नहीं करते।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05 मई 2010 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि, इलेक्ट्रोपैथी में शिक्षा अथवा व्यवसाय किये जाने पर रोक का प्रस्ताव नहीं है, यदि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2003 को जारी आदेश के अनुसार किया जाता है।
3. दिनांक 21.06.2011 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि, दिनांक 25 नवंबर 2003 तथा दिनांक 05 मई 2010 को जारी आदेश को इलेक्ट्रोपैथी / इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा अथवा शिक्षा हेतु निर्देश के रूप में माना जावे।
4. दिनांक 25.02.2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि, अल्टरनेटिव पद्धति (इलेक्ट्रोपैथी / इलेक्ट्रोहोम्योपैथी) के मान्यता के संबंध में विचार किया जा रहा है तथा इस हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाये जा रहे हैं।

<u>अभिमत</u>— उपरोक्तानुसार यद्यपि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्य चिकित्सा पद्धति नहीं है, किंतु इसके संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये आदेशों एवं , माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश पर "विधि सम्मत अभिमत" लिया जाकर, छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्ति को अपनी पद्धति में, चिकित्सकीय कार्य किये जाने हेतु अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
राज्य कार्यक्रम अधिकारी छत्तीसगढ़
शाखा... एन एच एम

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

क्रमांक 3/बोर्ड/2019/ 384

रायपुर, दिनांक 16 MAY 2019

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर

विषय:—इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्ति को चिकित्सकीय कार्य किये जाने कि अनुमति बाबत ।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक. 239/1809/2017/नौ/स्वास्थ्य/एक(तीन) दिनांक 18.2.2019

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करेंगे, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पाठ्यक्रम से शिक्षित व्यक्तियों द्वारा चिकित्सकीय कार्य किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है । इस संबंध में लेख है कि होम्योपैथी सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 तथा छत्तीसगढ़ होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1976 में अधिनियमों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का समावेश नहीं है ।

होम्योपैथी सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 की दूसरी/तीसरी अनुसूची में उल्लेखित मान्य अर्हताधारियों का राज्य होम्योपैथी परिषद छत्तीसगढ़ में पंजीयन किए जाने का प्रावधान है एवं वे राज्य में चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र होंगे। उक्त अनुसूची में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई उल्लेख नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्र. 4565/1809/सा/2017/स्वास्थ्य/[illegible] दिनांक 06 जुलाई 2017 के परिपालन में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से शिक्षित व्यक्ति को चिकित्सकीय कार्य किये जाने कि अनुमति से संबंधित प्रकरण की समीक्षा कर शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तदानुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्य चिकित्सा पद्धति नहीं होते हुए भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय [illegible] भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये आदेशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश पर विधि समस्त अभिमत [illegible] जाकर शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है ।

कृपया वस्तुस्थिति की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

संचालक(आयु)
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/F.1.0...1.0/2017/17/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 14/11/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्य प्रदेश।

2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
   मध्य प्रदेश।

विषयः– फर्जी चिकित्सकों/झोलाछाप डॉक्टरों/मध्य प्रदेश में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही।

==0==

प्रदेश में अपात्र फर्जी चिकित्सकों, अन्य प्रदेश में पंजीकृत किन्तु मध्य प्रदेश में अमान्य चिकित्सा पद्धतियों, झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अधिकांश ऐसे चिकित्सक एलोपैथी पद्धति की औषधियां रोगियों को दे रहे है। बिना उपयुक्त ज्ञान के इस प्रकार का उपचार घातक होता हैं। ऐसे कई प्रकरण सामने आये है जहां अपात्र फर्जी चिकित्सकों द्वारा गलत इंजेक्शन देने से रोगियों को एब्सेस, गैंगरीन आदि हो गया है जिससे तथा गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से रोगियों की मृत्यु भी हो गई है।

02. उपरोक्त अपात्र व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे चिकित्सा व्यवसाय पर अंकुश लगाने के लिये विधि अनुसार निम्न प्रावधान उपलब्ध है :–

(1) **मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973** की धारा–3 के प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्र के समस्त उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना (नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय/परामर्श केन्द्र, औषधालय, प्रयोगशाला, एक्स–रे, डेन्टल क्लीनिक सहित सभी इस्टेब्लिशमेन्टस) उक्त एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति के बिना न खोले जा सकते है न रखे जा सकते है और न चलाये जा सकते है।

- उक्त धारा–3 के उल्लंघन करने पर अधिनियम–1973 की धारा–8 (क)(एक) तथा (दो) के अंतर्गत जो जुर्माने तथा 3 माह तक के कठोर कारावास का प्रावधान है।

- **मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973** के अंतर्गत विधि अनुसार केवल निम्न मान्य चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत कार्यरत क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेन्टस/नर्सिंग होम आदि के पंजीयन का प्रावधान है।

अ. **आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी :–** इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया एक्ट 1956 की धारा (15)1 के अंतर्गत मान्य अर्हताधारी को मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल अधिनियम 1987 के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है।

ब. <u>भारतीय चिकित्सा पद्धति</u> :— इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय हेतु मध्य प्रदेश आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के अंतर्गत शेड्यूल में उल्लेखित मान्य अर्हताधारी का बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एण्ड नेचुरोपैथी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है।

स. <u>होम्योपैथी एण्ड बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन</u> :— इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय हेतु होम्योपैथी सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 की दूसरी/तीसरी अनुसूची में मान्य अर्हताधारी का स्टेट काउन्सिल ऑफ होम्योपैथी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है।

(2) चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 7—ग के अनुसार अभिदान "डॉक्टर" का उपयोग केवल उपरोक्त मान्य चिकित्सा पद्धतियों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स ही कर सकते है। अपात्र व्यक्ति द्वारा उक्त अभिदान का उपयोग चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 8(2) के अंतर्गत 3 वर्ष कारावास या रूपये 50,000 जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में केवल वे ही चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र है जो **<u>मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया एक्ट 1965 की धारा—15(1)</u>** में उल्लेखित अर्हताधारी होकर मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1987 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अपात्र एवं अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करने पर **<u>मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1987</u>** की धारा—24 के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कठोर करावास तथा 5000 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

(4) **<u>"इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन"</u>** :— देश के विधान अनुसार स्थापित चिकित्सा पद्धती नहीं है। इन पद्धतियों के व्यवसाईयों हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा नई दिल्ली द्वारा इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने संबंधी निर्देश है। किन्तु इन पद्धतियों के चिकित्सा व्यवसायी केवल अपनी पद्धति में ही चिकित्सा व्यवसाय कर सकते है। याचिका क्रमांक 502/99 (डॉ. मुकेश श्रीवास्तव विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन), 2957/94 (काउन्सिल ऑफ आल्टरनेटिव सिस्टम विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन), 2018/92 (नेशनल डेव्हलपमेंट सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन) एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 19.03.1999 के पैरा—10 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा "इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन" अर्हताधारियों के लिये निम्न व्यवस्था जारी की गई है :—

> "By way of abundant caution I may state that, in case, practitioners practice or impart education in the branches of Allopathy, Ayurvedic, Unani or Naturopathy which are regulated by various enactments, their action shall be totally illegal and the respondents are free to take actions against them in accordance with law."

क्योंकि "इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन" अर्हताधारी मान्य पद्धतियों के अंतर्गत अर्हताधारी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार इनको यद्यपि इनकी विधा में चिकित्सा व्यवसाय की पात्रता है :—

(i) इनका पंजीयन मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम—1973 के अंतर्गत नहीं किया जाना है। किन्तु उक्त अधिनियम की धारा—8 के अंतर्गत इन पर कार्यवाही भी नहीं की जाएगी।

(ii) "इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन" अर्हताधारी अभिधान "डॉक्टर" का उपयोग करने हेतु पात्र नही है। यदि यह अर्हताधारी अभिधान "डॉक्टर" का उपयोग करते है तो उपरोक्त पैरा 2 में प्रावधानानुसार इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए (याचिका क्रमांक 7352/07 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का आदेश दिनांक 22.07.2010)

03. कृपया उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जिले में फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। जिले में कार्यपालिक दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी का एक दल गठित कर फर्जी चिकित्सक/झोला छाप की पहचान कर उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही कर इन अपात्र चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करें।

04. कृपया उक्त निर्देशों के अधीन 15 नवम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक अभियान चलाकर कार्यवाही की जाऐ तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को संलग्न प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक /एफ.10-10/2017/17/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 14/11/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर भेज कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कारने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

02. पुलिस महानिदेशक, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें की ओर प्रेषित कर लेख है कि किसी संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी को अभियान अवधि में की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग का कार्य सौंपे तथा समय–समय पर आप भी इसकी समीक्षा करें।

04. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर भेज कर निर्देश दिये जाते है कि वे जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों से सम्पर्क कर फर्जी चिकित्सकों द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय पर अंकुश लगाने हेतु जिला स्तर पर गठित दल के साथ कार्यवाही कर पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में कलेक्टर के माध्यम से जानकारी 10 जनवरी 2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

145614

ITEM NO.1 COURT NO.13 SECTION IVB

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 23572/2009

(Arising out of impugned final judgment and order dated 10/08/2009 in CWP No. 7493/2007 passed by the High Court Of Punjab & Haryana at Chandigarh)

G.G.S. MED.INST.OF & HOSP.OF ELECT.& ANR Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)
office report for direction)

WITH
SLP(C) No. 14388/2010
(With Office Report for Direction)

SLP(C) No. 29919/2011
(With Office Report for Direction)

SLP(C) No. 19046/2012
(With Office Report for Direction)

SLP(C) No. 21611/2012
(With Office Report for Direction)

Certified to be true copy
Assistant Registrar(Judl.)
......................2015
SUPREME COURT OF INDIA

Date : 22/01/2015 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE VIKRAMAJIT SEN
HON'BLE MR. JUSTICE C. NAGAPPAN

For Petitioner(s) Mr. Anurag Dubey, Adv.
Mr. Meenesh Dubey, Adv.
Ms. Ila Haildia, Adv.
Mr. S. R. Setia,Adv.

Mr. Bharat Singh, Adv.
Mr. Ashish Kr. Upadhyay, Adv.
Mr. Amuit Pawan, Adv.

Mr. Chandra Shekhar, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Tyagi,Adv.

Mr.S.R. Singh,. Sr.Adv.
Ms. Savitri Pandey, Adv.
Dr. (Mrs.) Vipin Gupta,Adv.

Mr. Vivek Chaudhari, Adv.
Mr. Pabnkaj Bhatia, Adv.
Dr. Kailash Chand, Adv.

For Respondent(s) Mr. P.S. Narasimha, ASG
Mr. R.S. Suri, Sr.Adv.
Mr. M.P. Gupta, Adv.
Mr. Chetan Chawla, Adv.

Mr. Mohan Prasad Gupta, Adv.
Mr. D. S. Mahra, Adv.

Mr. Irshad Ahmad, AAG, UP
Ms. Archana Singh, Adv.
Mr. Anurag Rawat, Adv.
Mr. Abhisth Kumar, Adv.

Mr. Saurabh Ajay Gupta, Adv.
Mr. Saurabh Singhal, Adv.

For Intervenor Ms. Niranjana Singh, Adv.
Mr. Ram Bhaj, Adv.

For Intervenor Mr. APS Shergill, Adv.
Mr. Kuldip Singh, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Learned Counsel for the Petitioners submit that in view of the counter affidavit filed by the Union of India, to the effect that there is no ban on the Medical Practice of Electro Homoepathy, the Petitioners do not wish to press the present Special Leave Petitions. It is also submitted that Circular dated 5th May, 2010 is also on similar lines. Therefore, they have instructions not to press these Petitions. The Special Leave Petitions are dismissed as not pressed.

Sd/
(USHA BHARDWAJ)
AR-CUM-PS

Sd/
(SAROJ SAINI)
COURT MASTER

Dy.NO. 47/RTI/2011-H
Government of Indian
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
(Hospital Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 14th February , 2011.

To,

Sh.Ramesh Manju Parmar,
At- Mithapur, Area-Arambhada,
Th-Dwarka, Jamnagar,
Gujarat-361345

Subject:- **Application under RTI Act ,2005**

Sir,

With reference to your RTI application dated 15.12.2010 transferred from President's secretariat vide their letter No. 1590/RTI/12/10-11 dated 28.01.2011 received in this section on 09.02.2011, I am to inform you that as per section 2 © (i) and 2(h) of **the Clinical Establishment (Regulation & Registration) Act, 2010,** all recognized systems of medicine ie Allopathy, Yoga, Naturopathy, Ayurveda, Homeopathy, Siddha and Unani system of medicines or any other System of medicine as may be recognized by the Central Government, will be allowed for registration. On the issue of recognition of Electro-Homeopathy as recognized system of medicine, this Ministry has issued an order vide File No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 stating that Electro Homeopathy is not yet recognized as a system of medicine. **However, there is no bar on practicing electro homeopathy or imparting education (Copy enclosed).**

An appeal, if any , against this reply may be made to the Appellate Authority, Dr.Arun K. Panda, Joint Secretary, Department of Health & Family Welfare, within 30 (thirty) days of the receipt of this letter.

V.P.Singh
Deputy Secretary to the Govt. of Indian
Tel. No. 23062791

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना (म.प्र.)

क्रमांक/नर्सिंग होम 7270 सतना,दिनांक 9/10/2020

प्रति,

श्री सुरेश सिंह,
मैटी क्लीनिक बिहरा क्रमांक 1
जिला -सतना (म.प्र.)

आदेश।

आप का क्लीनिक पंजीयन हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।आप के द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम आफ मेडिसिन पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय किये जाने की पंजियन/अनुमति चाही गई है।

उपरोक्त संबंध में मंत्रालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 10.10/2017/17/ मेडि-2भोपाल दिनांक 14.11.2017 में चिकित्सा पद्धति अनुसार चिकित्सा व्यवसाय करने एवं पंजीयन तथा अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गए है ।उपरोक्त पत्र के पैरा 4में स्पष्ट उल्लेख किया गया है ,माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अहर्ताधारी चिकित्सा व्यवसायी केवल अपनी पद्धति में ही चिकित्सा व्यवसाय कर सकते है ,इनका पंजीयन मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोऊपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)अधिनियम 1973के अंतर्गत नही किया जाना है। किन्तु उक्त अधिनियम की धारा8अंतर्गत इन पर कोई कार्यवाही भी नही किया जाना है।

अतः आप को चिकित्सा व्यवसाय किये जाने हेतु पंजीकरण की आवश्यकता नही है ,किन्तु आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम आफ मेडिसिन पद्धति में ही चिकित्सा व्यवसाय कर सकते है ,अन्य किसी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करते हुये पाये जाते है तो आप के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सतना(म.प्र.)

क्रमांक/नर्सिंग होम 7270-71 सतना,दिनांक 9/10/2020

प्रतिलिपि

1.कलेक्टर महोदय जिला सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सतना(म.प्र.)

V.Bharath vs Union Of India on 4 August, 2025

Author: S.Srimathy

Bench: S.Srimathy

BEFORE THE MADURAI BENCH OF MADRAS HIGH COURT

DATED : 04.08.2025

CORAM:

THE HONOURABLE MRS.JUSTICE S.SRIMATHY

W.P(MD)No.17915 of 2025
and
W.M.P(MD)No.13714 of 2025

V.Bharath

Vs

1. Union of India,
   Represented by its Secretary to Government of India,
   Ministry of Health and Family Welfare,
   (Department of Health Research),
   Nirman Bhavan,
   New Delhi – 110 001.

2. The Government of Tamilnadu,
   Represented by its Secretary For Health
   and Family Welfare Department,
   Secretary, St. George Fort,
   Chennai - 600 009.

3. The Director,
   Director of Indian Medicines and Homeopathy,
   Arumbakkam,
   Chennai - 600 106.

4. The Director,
   Medical and Rural Health Services,
   358, Anna Salai,
   Chokkalingam Nagar,
   Teynampet,
   Chennai - 600 006.

1/5

https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 pm

5. The Director General of Police,
   Dr. Radhakrishnan Salai,
   Mylapore,
   Chennai - 600 004.

6. The District Collector,
   Madurai District,
   Madurai - 625 020.

PRAYER : Writ Petition filed under Article 226 of the Constitution o praying for issuance of a Writ of Mandamus, to direct the respondent the petitioner's representation dated 02.08.2023 and direct the resp interfere petitioner's right to Electropathy / Electrohomeopathy in respondent's letter dated 05.05.2010 within stipulated time.

For Petitioner	:	Mr.P.Arumuga Rajan
For R-1	:	Mr.P.Subbiah
For R-2 to 4 & 6	:	Mr.M.Lingadurai Special Government Pleade
For R-5	:	Mr.M.Aasha Government Advocate (Crl.

2/5

https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:

ORDER

The present Writ Petition has been filed for the issuance of a Writ of Mandamus, to direct the respondents to consider the petitioner's representation dated 02.08.2023 and direct the

respondents, not to interfere with the petitioner's right to practice Electropathy / Electrohomeopathy in term of the first respondent's letter dated 05.05.2010

2. This Court without expressing any opinion on merits is directing the official respondents to consider the petitioner's representation in the light of the letter dated 05.05.2010 issued by the first respondent, and pass appropriate orders, within a period of four (4) weeks from the date of receipt of a copy of this order.

3. With the above observations, this Writ Petition is disposed of. There shall be no order as to costs. Consequently, connected miscellaneous petition is closed.

```
NCC      : Yes / No
Index    : Yes / No
Internet : Yes

jbr
```

https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 p

To:

1. Union of India,

Represented by its Secretary to Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health Research), Nirman Bhavan, New Delhi – 110 001.

2. The Government of Tamilnadu, Represented by its Secretary For Health and Family Welfare Department, Secretary, St. George Fort, Chennai - 600 009.

3. The Director, Director of Indian Medicines and Homeopathy, Arumbakkam, Chennai - 600 106.

4. The Director, Medical and Rural Health Services, 358, Anna Salai, Chokkalingam Nagar, Teynampet, Chennai - 600 006.

5. The Director General of Police, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004.

6. The District Collector, Madurai District, Madurai - 625 020.

https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 pm) S.SRIMATHY, J.

jbr ORDER MADE IN DATED : 04.08.2025 https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 pm)

V.Bharath vs Union Of India on 4 August, 2025

Author: S.Srimathy

Bench: S.Srimathy

BEFORE THE MADURAI BENCH OF MADRAS HIGH COURT

DATED : 04.08.2025

CORAM:

THE HONOURABLE MRS.JUSTICE S.SRIMATHY

W.P(MD)No.17915 of 2025
and
W.M.P(MD)No.13714 of 2025

V.Bharath

Vs

1. Union of India,
Represented by its Secretary to Government of India,
Ministry of Health and Family Welfare,
(Department of Health Research),
Nirman Bhavan,
New Delhi – 110 001.

2. The Government of Tamilnadu,
Represented by its Secretary For Health
and Family Welfare Department,
Secretary, St. George Fort,
Chennai - 600 009.

3. The Director,
Director of Indian Medicines and Homeopathy,
Arumbakkam,
Chennai - 600 106.

4. The Director,
Medical and Rural Health Services,
358, Anna Salai,
Chokkalingam Nagar,
Teynampet,
Chennai - 600 006.

5. The Director General of Police,
   Dr. Radhakrishnan Salai,
   Mylapore,
   Chennai - 600 004.

6. The District Collector,
   Madurai District,
   Madurai - 625 020.

PRAYER : Writ Petition filed under Article 226 of the Constitution of praying for issuance of a Writ of Mandamus, to direct the respondents the petitioner's representation dated 02.08.2023 and direct the respon interfere petitioner's right to Electropathy / Electrohomeopathy in te respondent's letter dated 05.05.2010 within stipulated time.

For Petitioner	:	Mr.P.Arumuga Rajan
For R-1	:	Mr.P.Subbiah
For R-2 to 4 & 6	:	Mr.M.Lingadurai Special Government Pleader
For R-5	:	Mr.M.Aasha Government Advocate (Crl. S

ORDER

The present Writ Petition has been filed for the issuance of a Writ of Mandamus, to direct the respondents to consider the petitioner's representation dated 02.08.2023 and direct the

respondents, not to interfere with the petitioner's right to practice Electropathy / Electrohomeopathy in term of the first respondent's letter dated 05.05.2010

2. This Court without expressing any opinion on merits is directing the official respondents to consider the petitioner's representation in the light of the letter dated 05.05.2010 issued by the first respondent, and pass appropriate orders, within a period of four (4) weeks from the date of receipt of a copy of this order.

3. With the above observations, this Writ Petition is disposed of. There shall be no order as to costs. Consequently, connected miscellaneous petition is closed.

NCC : Yes / No
Index : Yes / No
Internet : Yes

jbr

https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 pm

To:

1. Union of India,

Represented by its Secretary to Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health Research), Nirman Bhavan, New Delhi – 110 001.

2. The Government of Tamilnadu, Represented by its Secretary For Health and Family Welfare Department, Secretary, St. George Fort, Chennai - 600 009.

3. The Director, Director of Indian Medicines and Homeopathy, Arumbakkam, Chennai - 600 106.

4. The Director, Medical and Rural Health Services, 358, Anna Salai, Chokkalingam Nagar, Teynampet, Chennai - 600 006.

5. The Director General of Police, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004.

6. The District Collector, Madurai District, Madurai - 625 020.

https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 pm) S.SRIMATHY, J.

jbr ORDER MADE IN DATED : 04.08.2025 https://www.mhc.tn.gov.in/judis (Uploaded on: 11/08/2025 06:01:17 pm)

IN THE HIGH COURT OF ORISSA AT CUTTACK

W.P.(C) No.24857 of 2025

Himalaya Patel .... **Petitioner**

Mr. S.K. Joshi, Advocate

-Versus-

Union of India and others .... **Opposite Parties**

Mr. P.K. Parhi, DSGI,
Mr. S.K. Jee, AGA

CORAM:

JUSTICE DIXIT KRISHNA SHRIPAD

ORDER
10.09.2025

Order No. 01.

Issue emergent notice. Learned DSGI-Mr. P.K. Parhi appearing for opposite party no.1 and learned AGA-Mr. S.K. Jee appearing for opposite party nos.2 to 5, on request, accept notice for those opposite parties. Required number of copies of the writ petition with all documents be served on them within three working days.

2. Learned counsel appearing for the petitioner draws attention of the Court to the Union Government's clarification dated 14.02.2011, which reads as under:

> *"With reference to your RTI application dated 15.12.2010 transferred from President's secretariat vide their letter No.1590/RTI/12/10-11 dated 28.01.2011 received in this section on 09.02.2011, I am to inform you that as per section 2 © (i) and 2(h)* ***of the Clinical Establishment (Regulation & Registration) Act, 2010****, all recognized systems of medicine ie Allopathy, Yoga, Naturopathy, Ayurveda, Homeopathy, Siddha and Unani system of medicines or any other System of medicine as*

may be recognized by the Central Government, will be allowed for registration. On the issue of recognition of Electro-Homeopathy as recognized system of medicine, this Ministry has issued an order vide File No.V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 stating that Electro Homeopathy is not yet recognized as a system of medicine. ***How-ever, there is no bar on practicing electro homeopathy or imparting education (Copy enclosed).***

An appeal, if any, against this reply may be made to the Appellate Authority, Dr.Arun K. Panda, Joint Secretary, Department of Health & Family Welfare, within 30 (thirty) days of the receipt of this letter."

In view of the above, he submits and this Court agrees that his clinical establishment could not have been seized. A prima facie case is made out for granting interim protection to the petitioner after perusal of the papers.

In the above circumstances, OP Nos. 2 to 5 are hereby directed to unseize the establishment in question and permit the petitioner to practice Electro-Homeopathy till next date of hearing.

Petitioner with leave of the Court has corrected the cause title by properly describing OP No.5. An amended cause title also be filed within three working days.

Web Copy of this order be acted upon by all concerned.

(Dixit Krishna Shripad)
Judge

Signature Not Verified
Digitally Signed
Signed by: ANISHA NANDA
Designation: Jr. Stenographer
Reason: Authentication
Location: High Court of Orissa, Cuttack
Date: 10 Sep 2025 17:06:45